



## अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482  
विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanavvn2018@gmail.com website:- www.avvnl.com

क्र. अविविनिलि/अधी.अभि.(यो)/अधि.अभि.(योजना)/सहा.अभि.(आर.ई.)/अज/ फा. आर.ई. /2018-19/प्रे. दि 29-8-18  
2756

### आदेश

विषय:-कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 5.2 के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 5.2 में यह प्रावधान है कि "11 केवी फीडर पर वोल्टेज रेग्युलेशन 8 प्रतिशत से अधिक होने पर डिमाण्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त संबंधित सहायक अभियन्ता फीडर के सिस्टम सुधार की योजना बनाकर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर 6 माह की अवधि में सिस्टम में सुधार करने के उपरान्त ही आवेदक को कनेक्शन जारी करेगा। डिमाण्ड नोटिस जारी होने के 6 माह की अवधि समाप्त होने के बाद यदि फीडर की सिस्टम सुधार की योजना पूर्ण नहीं होती है तो वोल्टेज रेग्युलेशन 8 प्रतिशत से अधिक व 10 प्रतिशत तक होने पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेग्युलेशन होने पर कनेक्शन फीडर सुधार के बाद ही जारी किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन केवल ग्रामीण फीडर (ब्लॉक सप्लाई) से ही दिये जायेंगे।"

अतः इस संबंध में निर्णय लेकर किसानों की समस्या के समाधान हेतु व वर्ष 2018-19 में लक्षित 200000 कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 5.2 के निहित प्रावधान में शिथिलता प्रदान कर यह प्रावधान किया जाता है कि 11 केवी फीडर पर सुधार करने के उपरान्त व सुधार के दौरान यदि फीडर का वोल्टेज रेग्युलेशन यदि 8 प्रतिशत से अधिक है तो भी कृषि कनेक्शन जारी करने में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है।

(ई. वी.पी. सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)  
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- 2 सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 अध्यक्ष डिस्कॉम्स जयपुर।
- 4 प्रबंध निदेशक, जयपुर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर।
- 5 अति./मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम./ट्रेनिंग एवं सुरक्षा सीएसएस/पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू
- 6 मुख्य लेखाधिकारी (ए.एण्ड.आर/ई बी टी./ आई.ए.-डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 7 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 9 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डब्ल्यू/एम.एण्ड.पी/वाणिज्य/डी.डी.यू.जी.जे.वाय./सर्तकता), अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता (आई टी), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ए.डी.सी./मीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़/राजसमन्द/उदयपुर।
- 12 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 13 प्रावैधिक सहायक-माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- 14 प्रावैधिक-सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 15 प्रावैधिक-सहायक, निदेशक (तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 16 अधिशापी अभियन्ता (ग्रिवेन्सेज/लीगल), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर
- 17 अधिशापी अभियन्ता (.....) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर
- 18 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु।
- 19 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 20 निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर
- 21 प्रबन्धक, टी.पी.ए.डी.एल, डिस्ट्रीब्यूशन फेचाईजी (अजमेर सिटी) वैशाली नगर, अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)